JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलग मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302015

दूरभाष 0141-5192407

दिनांक 10.01.2016

प्रेस रिलीज

जयपुर मेट्रो ने यात्री सर्वे रिपोर्ट जारी की

दो माह पूर्व 9 नवम्बर को जयपुर मेट्रो की उपयोगिता बढाने के लिए सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी 130 ट्रेनो के कुल 22000 यात्रियों में से 6572 यात्रियों ने सर्वे रिपोर्ट में अपनी ओपीनियन बताई थी। यह सर्वे 11 बिन्दुओं जैसे आप मेट्रो की यात्रा के लिए कहां से आये, मेट्रो स्टेशन कैसे पहुंचे, किस मेट्रो स्टेशन से कहां तक जा रहे हैं, मेट्रो से उतरकर आगे कहां और कैसे जायेगें, आपका स्वयं का कोई वाहन है, मेट्रो से पहले आप यह यात्रा कैसे करते थे, यदि मेट्रो नहीं आती तब भी इस रूट पर यात्रा करते, वर्तमान में आप क्या काम करते हैं तथा एक सप्ताह में मेट्रो से एकतरफा कितनी बार यात्रा करते हैं (सर्वे परफोर्मा संलग्न है)।

सीमडी निहाल चन्द गोयल ने बताया कि मेट्रो संचालन के छठे माह में किये गये इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि जयपुर मेट्रो ने सामान्य नागरिकों की जीवनचर्या में क्या बदलाव किया, वह मेट्रो से किस तरह जुड़े है, उनकी क्या मांग एवं राय है तथा इसे किस तरह और अधिक जन उपयोगी बनाया जा सकता है।

इस सर्वे के आंकड़ो का कम्प्यूटरीकृत विश्लेषण किया गया है एवं मेट्रो यात्रियों की महत्वपूर्ण राय निम्नानुसार रही (पाई चार्ट संलग्न है):-

1. 25 प्रतिशत यात्री रोजाना एक बार मेट्रो का उपयोग करते हैं। वहीं 50 प्रतिशत यात्री सप्ताह में एक बार से अधिक मेट्रो यात्रा करते हैं।
2. कुल यात्रियों में एक तिहाई मेट्रो यात्री छात्र है तथा 37 प्रतिशत यात्री प्राईवेट कार्य करने वाले है। वहीं 13 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी एवं 8 प्रतिशत व्यापारी भी इसका उपयोग करते हैं।
3. मेट्रो चलने के बाद नागरिकों ने अपनी दैनिक यात्रा हेतु यात्रा वाहन में निम्नानुसार बदलाव किया:

वाहन	मेट्रो से पहले	मेट्रो के बाद	बदलाव (मेट्रो की ओर)
मिनी बस	36 प्रतिशत	10 प्रतिशत	26 प्रतिशत
लो फ्लोर बस	14 प्रतिशत	5 प्रतिशत	9 प्रतिशत
दोपहिया वाहन	18 प्रतिशत	14 प्रतिशत	4 प्रतिशत
कार	8 प्रतिशत	5 प्रतिशत	3 प्रतिशत
ऑटो	14 प्रतिशत	12 प्रतिशत	2 प्रतिशत

4. मेट्रो स्टेशनों से यात्रा शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत यात्री मेट्रो स्टेशनों पर पैदल पहुंचते है। वहीं 15 प्रतिशत मिनी बस, 11 प्रतिशत दो पहिया वाहन, 8 प्रतिशत ऑटो एवं 5 प्रतिशत लो फ्लोर बस का उपयोग करते हैं।
5. 60 प्रतिशत यात्री चांदपोल (25 प्रतिशत), रेलवे स्टेशन (20 प्रतिशत) एवं सिंधी कैम्प (15 प्रतिशत) की यात्रा करते हैं, बाकी 40 प्रतिशत यात्री शेष 6 स्टेशनों पर यात्रा समाप्त करते हैं।
6. 55 प्रतिशत यात्री चांदपोल (22 प्रतिशत), मानसरोवर (19 प्रतिशत) एवं न्यू आतिश मार्केट (13 प्रतिशत) से मेट्रो में यात्रा के लिए चढते हैं।
7. मेट्रो में यात्रा करने वाले करीब 60 प्रतिशत यात्रियों के पास अपना स्वयं का कोई वाहन नहीं है। वह पैदल या अन्य सार्वजनिक परिवहन से स्टेशन पहुंचते है।
8. करीब 15-20 प्रतिशत ऐसे मेट्रो यात्री है, जो मेट्रो की अच्छाई के कारण स्वतंत्र रूप से यात्रा कर पा रहे हैं, अन्यथा पूर्व में वह किसी के साथ/सहारे यात्रा करते थे। इसमें विशेष रूप से महिलाऐं एवं वरिष्ठ नागरिकजन सम्मिलित है।
9. यदि मेट्रो नहीं आती तब भी 64 प्रतिशत यात्रियों ने कहा कि वह इस मार्ग पर अन्य साधनों से यात्रा करते, लेकिन 30 प्रतिशत यात्री अन्य साधन छोड़कर अब मेट्रो से यात्रा करने लगे हैं।

इस सर्वे से कईं विचारात्मक बिन्दु भी सामने आये हैं, जैसेः

सिंधी कैम्प एवं रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्री, चढने वालों से 15 प्रतिशत अधिक है, इसका तात्पर्य यहां फर्स्ट माईल कनेक्टीविटी के लिए फीड़र सेवा जरूरी है। वहीं मानसरोवर एवं न्यू अतिश मार्केट पर लास्ट माईल कनेक्टीविटी के लिए यहां फीडर सेवा भी सुधारनी है।

मार्केट में जाने के लिए, जहां 25 प्रतिशत यात्री मेट्रो का उपयोग करते हैं लेकिन 15 प्रतिशत यात्री ही मार्केट का काम कर मेट्रो में वापस यात्रा के लिए आते हैं। इसका कारण खरीददारी के बाद सामान ले जाने में मेट्रो नियमों में साईज एवं वजन प्रतिबंध तथा विशेषतः चांदपोल पर फीड़र सेवा में कमी भी एक कारण है।

सीमडी गोयल के अनुसार फीड़र सेवा में सुधार हेतु वर्तमान में चांदपोल स्टेशन पर 25 एवं मानसरोवर स्टेशन पर 4 ई-रिक्शा लगाये जा चुके हैं तथा ई-रिक्शा सेवा में आगे विस्तार एवं टाटा मैजिक टाईप सेवा शुरू करने, जेसीटीएसएल की लो-फ्लोर बसों को मेट्रो स्टेशनों पर भी स्टॉप के साथ ही अहमदाबाद में चल रही माई बाईक-पब्लिक साईकिल शेयरिगं आदि विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा नियमों में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रति यात्री 15 किलो के स्थान पर 25 किलोग्राम वजन तक एवं 60 सेमी ग 45 सेमी ग 25 सेमी साईज के स्थान पर तकनीकी रूप से उपयुक्त साईज के बड़े लगेज को ले जाने की मंजूरी भी प्रक्रियाधीन है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

जनसम्पर्क अधिकारी